अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

सेवा अपील वाद संख्याः 148 / 2013

मो० शफीक --- अपीलार्थी

वनाम

राज्य --- रेस्पोण्डेन्ट / विपक्षी

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा जिलाधिकारी, सुपौल, द्वारा पारित आदेश दिनांकः 21.07.2012 ई0 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

संक्षेप में मामला यह है कि श्री मो0 शफीक, प्रधान लिपिक, अनुमंडल कार्यालय, सुपौल सम्प्रति प्रतिनियुक्त जिला स्थापना शाखा, सुपौल, द्वारा जिला स्थापना शाखा के प्रधान लिपिक के रूप में किए कार्यों का संपादन के क्रम में उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप का विवरण संक्षेप में निम्नप्रकार है–

ज्ञापांक 433–2 / स्था0 दिनांक 16.04.11 को डिस्पैच के क्रम में पत्र में छेड़छाड़ कर पत्र के मूल स्वरूप को बदल कर श्री शैलेन्द्र ठाकुर को निलंबन से बचाने में संलिप्तता / सुपौल जिलान्तर्गत विभिन्न अंचल में अमीन के नियोजन में गलत मंशा / दिनांकः 14.07.12 को विलियम्स उच्च विद्यालय, सुपौल में कार्यपालक सहायक की लिखित परीक्षा में की गई धांधली में संलिप्तता / कर्मचारियों के ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 लाभ देने संबंधी संचिका में स्वेच्छाचारिता का परिचय देते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मनमाने ढंग से कार्य करना।

उक्त आरोपों के आलोक में ज्ञापांक 1894–2 गो0 दिनांक–21.07.2012 द्वारा श्री मो0 शफीक, प्रधान लिपिक, अनुमंडल कार्यालय, सुपौल प्रतिनियुक्त जिला स्थापना शाखा, सुपौल को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अनुमंडल कार्यालय, बीरपुर निर्धारित किया गया वो मो0 शफीक, प्रधान लिपिक, अनुमंडल, कार्यालय, सुपौल प्रतिनियुक्त जिला स्थापना शाखा, सुपौल के विरूद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र–क पर विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री मोहन प्रसाद, उप विकास आयुक्त, सुपौल को संचालन पदाधिकारी एवं जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, सुपौल को उपस्थापन पदाधिकारी ज्ञापांक 1164–2 / स्था0 दिनांक 16.08.12 के द्वारा नियुक्त किया गया वो ***आदेश ज्ञापांकः 1165–2 / स्था० दिनांकः 16. 08.2012 द्वारा मो० शफीक, निलंबित प्रधान लिपिक द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांकः 11.08.2013 पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इन्हें तत्कालीक प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया गया एवं मो० शफीक का पदस्थापन जिला योजना शाखा, सुपौल किया गया***। उप विकास आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, सुपौल के ज्ञापांक 1785 / अभि0 दिनांक 22.08.2012 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में वर्णित बिन्दुओं पर पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया वो मो0 शफीक प्रधान लिपिक, द्वारा दिनांक 31.08.12 को स्पष्टीकरण समर्पित

किया गया वो उप विकास आयुक्त, सुपौल के पत्रांक 1961/अभि0 दिनांक 11.09.12 द्वारा जिला स्थापना उप समाहर्त्ता–सह– उपस्थापन पदाधिकारी, सुपौल को मो0 शफीक प्रधान लिपिक, अनुमण्डल कार्यालय, सुपौल प्रतिनियुक्त जिला सथापना शाखा, सुपौल द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की छाया प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रपत्र 'क' में वर्णित विन्दुओं पर आरोपवार मंतब्य पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया वो जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, –सह–उपस्थापन पदाधिकारी, सुपौल द्वारा पत्रांक 1343–2 दिनांक 19.09.12 से प्रपत्र 'क' में वणित बिन्दुओं पर आरोपवार मंतव्य उप विकास आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, सुपौल को प्रेशित किया गया जिसमें श्री मो0 शफीक पर लगाये आरोप संख्या –1 के संबंध में मंतब्य दिया गया है कि मो0 शफीक तत्कालीन प्रधान लिपिक का संलिप्तता नहीं पाया गया, आरोप संख्या –2 के संबंध में मंतब्य दिया गया है कि तत्कालीन प्रधान सहायक के स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 09.06.12 को चयन समिति द्वारा अनुमोदित कार्यवाही प्रारूप के आलोक में दिनांक 14.06.12 को अमीन के नियोजन हेतु संचिका उपस्थापित किया गया था । श्री शर्मा को गलत ढंग से नियोजन करने का कोई मंशा नहीं था उनके कथन पर विचार किया जा सकता है, आरोप संख्या –3 के संबंध में मंतब्य दिया गया है कि परीक्षा केन्द्र पर संचालित विडियोग्राफी के अवलोकन से पता चलता है कि तत्कालीन प्रधान सहायक, मो0 शफीक परीक्षा केन्द्र के एक कमरा में पीछे डेस्क पर बैठने के बाद स्थापना शाखा के प्रतिनियुक्त लिपिक, श्री रोहिणीकान्त झा के कुछ बोलने पर उन्हें मुस्कुराते एवं श्री झा से बात करते हुए देखा गया। किसी अभ्यर्थी से हॅसी– मजाक नहीं कर रहा था। मो0 शफीक के स्पष्टीकरण पर विचार किया जा सकता है एवं आरोप संख्या –4 के संबंध में मंतब्य दिया गया है कि जिला पदाधिकारी द्वारा उक्त पारित आदेश को ठीक से समझा नहीं पाए और 225 कर्मियों के सेवा पुस्त का मिलान किए जाने के कारण स्वच्छ प्रति उपरथापित करने में कुछ विलंब हुआ। मो0 शफीक के स्पष्टीकरण पर विचार किया जा सकता है। उप विकास आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 2215/सपत्र दिनांक 06.1.12 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के समीक्षा के क्रम में कार्यालय ज्ञापांक 1517–2 दिनांक 03.11.12 द्वारा दिनांक 07.06.12 को संविदा के आधार पर अमीन पद का नियोजन हेतु आयोजित चयन समिति की बैठक की अनुमोदित कार्यवाही प्रारूप पर हस्ताक्षर नहीं करने के संबंध में मो0 सफीक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी वो मो0 शफीक द्वारा दिनांक 12.11.12 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया वो जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा मो0 शफीक, प्रधान लिपिक के विरूद्ध गठित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन, मो0 शफीक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उपलग्ध कागजातों के समीक्षोपरांत मो0 शफीक के विरूद्ध कार्यालय को **''गुमराह''** करने का आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप आदेश ज्ञापांक 1673–2 /स्था0 दिनांक 19.12.12 द्वारा मो0 सफी, प्रधान लिपिक को निम्नलिखित दंड अधिरोपित करते हुए सभी संबंधित को संसूचित किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्षः 1982 में हुई एवं उप निदेशक, चकबंदी, सहरसा के कार्यालय में पदस्थापित किया गया वो वर्षः 1993–94 में उनके सेवा समाहरणालय, सुपौल के कार्यालय में स्थानान्तरित किया तब से वे समाहरणालय, सुपौल के विभिन्न शाखाओं में कार्य कर चुके हैं वो नियुक्ति से अब तक उनका कार्य संतोषप्रद रहा है और उनकी सरकारी सेवा में कभी भी प्रतिकूल अभियुक्ति किसी पदाधिकारी द्वारा सेवापुस्त में दर्ज नहीं है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आरोपों, स्पश्टीकरण, उपस्थापन पदाधिकारी एवं संचालन पदाधिकारी का जॉच प्रतिवेदन को दुहराते हुए जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा पारित आदेश को अवैध एवं गलत बतलाते हैं।

सरकारी विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा पारित आदेश को सही बताते हुए प्रस्तुत अपील वाद खारिज योग्य बतलाते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मो0 शफीक, प्रधान लिपिक के रूप में अंचल अमीन की नियुक्ति संबंधी संचिका का संधारण उनके द्वारा किया

जाता है। उनके द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही के साथ वरीय पदाधिकारी को दिग्भ्रमित करने का आरोप परिलक्षित होता है। यद्यपि कनीय पदाधिकारी द्वारा मो0 शफीक को बचाने के उद्देश्य से भ्रमक प्रस्ताव अनुशासनिक प्राधिकार–सह– जिलाधिकारी, सुपौल को दिया गया जिसपर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रस्ताव पर असहमति के कारण को दर्शाते हुए अपीलार्थी मो0 शफीक को दोषी करार दिया गया । अभिलेख में मो0 शफीक के विरूद्ध दोषी होने का साक्ष्य पर्याप्त है। अतएव निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश सही एवं युक्ति संगत है। अपील का कोई ठोस आधार नहीं हैं। अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा